(iii) The State Government should fix responsibility on the officers responsible for violating the act and send a detailed report in this regard to the Ministry of Environment & Forests.

The Govt. of Maharashtra have yet to comply with the stipulations laid down by the Ministry of Environment & Forests. Govt. of India. Only, thereafter, the proposal will be considered for formal approval under the Forests (Conservation) Act 1980.

Supply of Drinking Water in Delhi

1645. SHRIMATI VEENA VERMA : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the report in the Indian Express of September 17, 1994 quoting convenor of the Indian Medical Congress, saying the water supply in the capital (Delhi) is unsafe for drinking, adding that if rising incidence of cholera and acute gastroenteritis is any indication, 1994 has been the worst in the last decade; and

(b) if so, what effective measures have been taken and are being taken by Government to render safe drinking water supply before it is piped out for distribution ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P.K. THUNGON) : (a) and (b) Yes, Sir. In this connection, it is stated that the drinking water supplied by the Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking is safe, potable and conforms to the standards laid down by the Government and Bureau of Indian Standards. To ensure the supply of safe drinking water. the quality of water is checked round the clock at every stage right from the treatment plant upto the consumer end. A mobile laboratory is also deployed in the rural areas of Delhi for monitoring the quality of water and is serving a useful purpose.

As a precautionary measure the service reservoirs are also cleaned periodically to maintain potability of water. The Delhi Water Supply & Sewerage Disposal Undertaking has launched a special drive to remove the on-line boosters and raising of service pipe passing through drains and manholes to avoid any chances of cantamination.

गंदी बस्तियों में रहने वालों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना

1646. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तथा उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन्हें उपयुक्त आवास उपलब्ध कराने तथा गंदी बस्तियों में अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी नियम क्या-क्या हैं ; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य क्या-क्या हैं और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है । (नीचे देखिए)

(ख) राज्य सेक्टर में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत "शहरी स्लमों के पर्यावरणीय, सुधार (ई आई यू एस)" नामक एक स्लम सुधार योजना है । इस योजना के तहत निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार जल आपूर्ति, मल-जल व्ययन, बरसाती पानी की नालियां, सामुदायिक स्नानघर, सामुदायिक शौचालय, गलियों को चौड़ा और पक्का करना, स्ट्रीट

साईट जैसी नागरिक सुविधाएं उनकी आवश्यताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार उपलब्ध करायी जाती हैं :—

1.	जल अपूर्ति	—150 व्यक्तियों के लिए 1 नल
2.	सीवरेज	—पानी के सामान्य बहाव के लिए खुलानाला ताकी पानी जमा न हो
3.	बरसाती पानी की नालियां	—बरसाती पानी के तुरन्त निकास के लिए
4.	सामुदायिक स्नानघर	—20—25 व्यक्तियों के लिए एक स्नानघर
5.	सामुदायिक शौचालय	—20—25 व्यक्तियों के लिए एक शौचालय
6.	गलियों को चौड़ा और पक्का बनाना	—पक्के रास्ते पर पैदल चलने वालों, साईकलों और हाथ गाड़ियों का सुगम आवागमन ताकि कीचड़ और गन्दगी से बचा जा सके
7.	स्ट्रीट लाइट	—खम्भों के बीच की दूरी 30मी०।

इन सुविधाओं के लिए फिलहाल प्रति व्यक्ति 525 रूपये का नियतन किया जा रहा है।

(ग) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान योजना के तहत वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण-II में दी गयी हैं।

विवरण-I

भारत के स्लमों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाली सूची

क्रम-संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	1991 में अनुमानित स्लम आबादी (आंकड़े लाखों में)
1	आन्ध्र प्रदेश	42.93
2	अरुणाचल प्रदेश	0.21
3	असम	4.14
4	बिहार	35.34
5	गोवा	0.83
6	गुजरात	25.67
7	हरियाणा	6.83
8	हिमाचल प्रदेश	0.94
9	जम्मु और काश्मीर	6.09
10	कर्नाटक	23.63
11	केरल	13.59
12	मध्य प्रदेश	27.67

भारत के स्लमों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाली सूची—जारी

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	1991 में अनुमानित स्लम आबादी (आंकड़े लाखों में)
13	महाराष्ट्र	66.66
14	मणीपुर	0.85
15	मेघालय	0.75
16	मिजोरम	0.63
17	नागालैंड	0.44
18	उड़ीसा	8.41
19	पंजाब	13.17
20	राजस्थान	19.60
21	सिक्कम	0.05
22	तमिलनाडु	35.60
23	त्रिपुरा	0.73
24	उत्तर प्रदेश	58.47
25	पश्चिम बंगाल	46.15
	कुल राज्य	439.36
1	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.15
2	चंडीगढ़	1.15
3	दादर एवं नगर हवेली	0.02
4	दमन एवं दीऊ	0.09
5	दिल्ली	24.19
6	लक्षद्वीप	0.05
7	पांडिचेरी	1.23
	सभी संघ राज्य क्षेत्र	26.88
	अखिल भारत	466.24

विवरण-II

वर्ष 1992-93 और 1993-92 के दौरान शहरी स्लमों के पर्यावरणीय सुधार योजना के तहत वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियाँ

(आंकड़े लाखों में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93		1993-94	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश	0.75	2.01	2.25	3.15
2	असम	0.07	0.06	0.07	0.06
3	बिहार	0.25	0.07	0.25	0.03
4	गोवा	0.002	0.003	0.002	0.00
5	गुजरात	0.40	0.41	0.80	0.93
6	हरियाणा	0.34	0.43	0.45	0.59
7	हिमाचल प्रदेश	0.11	0.11	0.14	0.14
8	जम्मू और काश्मीर	0.18	0.12	0.18	0.05
9	कर्नाटक	0.67	0.65	0.60	0.70
10	केरल	0.25	0.00	0.25	0.26
11	मध्य प्रदेश	0.14	0.84	0.79	2.07
12	महाराष्ट्र	2.50	2.37	2.50	2.28
13	मणीपुर	0.03	0.00	0.04	0.04
14	मेघालय	0.08	0.08	0.08	0.08
15	मिजोरम	0.10	0.02	0.02	0.02
16	उड़ीसा	0.10	0.10	0.10	0.10
17	पंजाब	0.70	0.74	0.40	0.40
18	राजस्थान	0.57	0.67	0.57	0.52
19	सिक्किम	0.01	0.01	0.01	0.01
20	तमिलनाडु	0.26	0.39	0.28	0.30
21	त्रिपुरा	0.10	0.10	0.10	0.08
22	उत्तर प्रदेश	1.50	1.62	1.50	1.50
23	पश्चिम बंगाल	0.60	0.58	0.37	0.07
	कुल राज्य	10.342	11.383	11.752	12.06
24	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.003	0.003	0.003	0.003
25	दमन और दीऊ	—	—	—	—
26	चंडीगढ़	—	—	—	—
27	दिल्ली	1.33	0.23	1.33	0.85
28	लक्षद्वीप	—	—	—	—
29	पाण्डिचेरी	0.10	0.10	0.10	0.10
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	1.433	0.333	1.433	0.953
	सकल योग	11.79	11.72	13.185	13.013